

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट-कानसर

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार 2 रामानन्द 3 सुखदेव 4 मनीराम पि0 हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर ।
- 5 सुरेश कुमार 6 कुलदीप पि0 महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर ।
- 7 शारदा पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
- 8 सिलोचना पुत्री महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल 2. बृजलाल 3. मनीराम 4. रजीराम पि0 धनपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. रोहिताश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. मांगेराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रामगढ तहसील नोहर
8. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे कनर्वट एसबीआई शाखा रामगढ उज्जलवास

प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या सन 2017 निर्णय दिनांक 25.06.2017
वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ भानीराम उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार-20167) कैम्प कानसर में वादी व उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप खुडिया की उपस्थिति में निणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण खिन्नी किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण संख्या 1 ता 8 रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 374/449 (69) किला न0 11 ता 13/0.759 ,18 ता 20/0.759 ,21 ता 23/0.759 कुल 2.277हैक् भूमि रहेगी व वादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 374/449(69) किला न0 8/0.01518हैक्, 9/0.1518हैक्, 10/0.1518हैक् कुल 1.16 बीघा अर्थात् 0.4554हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे यदि भूमि बैक के रहन है तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा खिन्नी आज दिनांक 25.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से राजस्व लोक अदालत में जारी की गई।

शिखर प्रभारी
राजस्व लोक दालत-2017
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर कैम्प कोट कानसर



संशोधित पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 296/2017

अनवान : -

1. कृष्ण कुमार 2. रामानन्द 3. सुखदेव 4. मनीराम पि0 हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. सुरेश कुमार 6. कुलदीप पि0 महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. शारदा पत्नी महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. सिलोचना पुत्री महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. धर्मपाल 2. बृजलाल 3. मनीराम 4. रजीराम पि0 धनपत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. रोहिताश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. मांगेराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे कनवर्ट एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 296 सन 2017 निर्णय दिनांक 25.06.2017

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151-152 सीपीसी पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2017 में वादीगण संख्या 1 ता 8 रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 374/449 (69) के किला न0 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, 18 ता 20 की 0.759 हैक्ट, 21 ता 23 की 0.759 हैक्ट कुल 2.277 हैक्ट भूमि रहेगी एवं वादी स0 1 के पास रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 374/449 (69) के किला न0 8 की 0.01518 हैक्ट, 9 की 0.1518 हैक्ट, 10. की 0.1518 हैक्ट, कुल 1.16 बीघा अर्थात् 0.4554 भूमि रहेगी के स्थान पर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 374/449 (69) के किला न0 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, 18 ता 20 की 0.759 हैक्ट, 21 ता 23 की 0.759 हैक्ट कुल 2.277 हैक्ट भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 4 का 4/25 हिस्सा एवं वादीगण स0 5 ता 8 के 1/25 हिस्सा भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के के खाता संख्या 425/326 की 1 बिघा 16 बिस्वा अर्थात् 0.4554 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर वादी स0 1 के नाम दर्ज की जाती है का संशोधन किया जाता है। शेष डिक्री यथावत रहेगी।

यह संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.11.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर